



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082021-228700
CG-DL-E-03082021-228700

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 3, 2021/श्रावण 12, 1943

No. 313]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 3, 2021/SHRAVANA 12, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 3 अगस्त, 2021

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/33.— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (खक) तथा खंड (ग) और धारा 12 की उप-धारा (1) तथा (1ख) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 में,-

I. विनियम 2 के उप-विनियम (1) में,-

- i. खंड (कक), खंड (यक) के रूप में संख्यांकित हो जाएगा।
- ii. खंड (क) के पश्चात् और खंड (ख) से पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्,-

“(कक) “अक्रेडिटेशन एजेंसी” का अर्थ है - मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की समनुषंगी (सब्सिडियरी) या निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) की समनुषंगी या कोई दूसरी एंटीटी, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनार्थ, बोर्ड यथा-निर्धारित शर्तों के तहत किसी अक्रेडिटेशन एजेंसी को मान्यता प्रदान कर सकेगा;

(कख) “अक्रेडिटिड निवेशक” का अर्थ है - ऐसा कोई व्यक्ति जिसे अक्रेडिटेशन एजेंसी द्वारा अक्रेडिटेशन प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो जो,

- (i) यदि व्यक्ति, हिंदू अविभक्त कुटुंब, कौटुंबिक न्यास (फैमिली ट्रस्ट) या एकल प्रोप्राइटरशिप हो, तो उसकी:

(क) वार्षिक आय कम से कम दो करोड़ रुपये हो; या

(ख) शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) कम से कम सात करोड़ पचास लाख रुपये की हो, जिसमें से कम से कम तीन करोड़ पचहत्तर लाख रुपये की वित्तीय आस्तियों (फाइनेंशियल असेट्स) के रूप में हो; या

(ग) वार्षिक आय कम से कम एक करोड़ रुपये हो और शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) कम से कम पाँच करोड़ रुपये की हो, जिसमें से कम से कम दो करोड़ पचास लाख रुपये की वित्तीय आस्तियों (फाइनेंशियल असेट्स) के रूप में हो।

- (ii) यदि निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) हो, तो उसकी शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) कम से कम पचास करोड़ रुपये की हो;

- (iii) यदि कौटुंबिक न्यास (फैमिली ट्रस्ट) से भिन्न कोई न्यास हो, तो उसकी शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) कम से कम पचास करोड़ रुपये की हो;

- (iv) यदि भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932) के तहत बनी भागीदारी फर्म हो, तो प्रत्येक भागीदार अक्रेडिटेशन संबंधी पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो:

परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों की छत्रछाया में बनी विकास-कार्य करने वाली एजेंसियों, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई निधियों (फंड), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 [सेबी (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्कलोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन, 2018] के तहत यथा परिभाषित अर्हित संस्थागत क्रेताओं (क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर), प्रवर्ग-I (श्रेणी-I) के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों, राष्ट्रीय धन निधियों (सॉवरिन वेलथ फंड्स) और बहुपक्षीय एजेंसियों तथा बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित किसी दूसरी एंटीटी को अक्रेडिटिड निवेशक माना जाएगा और जिनके लिए अक्रेडिटेशन प्रमाणपत्र प्राप्त करना जरूरी नहीं होगा;”

- iii. खंड (त) के पश्चात् और खंड (थ) से पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(तक) “अक्रेडिटिड निवेशकों के लिए अत्यधिक निवेश करने हेतु बनाए गए फंड” (लार्ज वैल्यू फंड) का अर्थ है - आनुकल्पिक निवेश निधि (ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड) या आनुकल्पिक निवेश निधि की कोई स्कीम, जिसमें प्रत्येक निवेशक [आनुकल्पिक निवेश निधि के प्रबंधक, प्रायोजक (स्पॉन्सर), कर्मचारियों या निदेशकों अथवा प्रबंधक के कर्मचारियों या निदेशकों को छोड़कर] अक्रेडिटिड निवेशक हो और जो कम से कम सत्तर करोड़ रुपये का निवेश करे;”

II. विनियम 10 के खंड (ग) में,-

- i. पहले परंतुक में, चिह्न “I”, चिह्न “:” से प्रतिस्थापित हो जाएगा।
- ii. पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-
“परंतु यह और कि यह खंड अक्रेडिटिड निवेशक पर लागू नहीं होगा;”

III. विनियम 12 में,-

- i. उप-विनियम (3) में, चिह्न “I”, चिह्न “:” से प्रतिस्थापित हो जाएगा।
- ii. उप-विनियम (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-
“परंतु यह कि उप-विनियम (2) और उप-विनियम (3) में दी हुई अपेक्षाएँ अक्रेडिटिड निवेशकों के लिए अत्यधिक निवेश करने हेतु बनाए गए फंड (लार्ज वैल्यू फंड) पर लागू नहीं होंगी।”

IV. विनियम 13 के उप-विनियम (4) में,-

- i. चिह्न “I”, चिह्न “:” से प्रतिस्थापित हो जाएगा।
- ii. निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-
“परंतु यह कि अक्रेडिटिड निवेशकों के लिए अत्यधिक निवेश करने हेतु बनाए गए फंड की अवधि दो वर्षों से भी अधिक समय के लिए बढ़ाने की अनुमति दी जा सकेगी, बशर्ते कि ऐसा अंशदान करार (कंट्रिब्यूशन एग्रीमेंट) की शर्तों आदि, अन्य निधि दस्तावेजों (फंड डॉक्यूमेंट) की शर्तों आदि और ऐसी शर्तों के अधीन किया जाए, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएँ।”

V. विनियम 15 के उप-विनियम (1) के खंड (ग) में,-

- i. चिह्न “;”, चिह्न “:” से प्रतिस्थापित हो जाएगा।
- ii. निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-
“परंतु यह कि अक्रेडिटिड निवेशकों के लिए अत्यधिक निवेश करने हेतु बनाए गए फंड (प्रवर्ग-I और प्रवर्ग-II के) किसी एक इन्वेस्टी कंपनी में, प्रत्यक्ष रूप से या अन्य आनुकल्पिक निवेश निधियों की यूनिटों में निवेश करके, निवेशयोग्य निधियों के पचास प्रतिशत तक का निवेश कर सकेंगे।”

VI. विनियम 15 के उप-विनियम (1) के खंड (घ) में,-

- i. चिह्न “;”, चिह्न “:” से प्रतिस्थापित हो जाएगा।
- ii. निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-
“परंतु यह कि अक्रेडिटिड निवेशकों के लिए अत्यधिक निवेश करने हेतु बनाए गए फंड (प्रवर्ग-III के) किसी एक इन्वेस्टी कंपनी में, प्रत्यक्ष रूप से या अन्य आनुकल्पिक निवेश निधियों की यूनिटों में निवेश करके, निवेशयोग्य निधियों के बीस प्रतिशत तक का निवेश कर सकेंगे।”

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./178/2021-22]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/04/11262, 21 मई 2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 तत्पश्चात्, -
 (1) 16 सितम्बर, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/24/6573, द्वारा

- (2) 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
- (3) 26 सितम्बर, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/11/1576, द्वारा
- (4) 14 अगस्त, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/011, द्वारा
- (5) 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/026, द्वारा
- (6) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037, द्वारा
- (7) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/19, द्वारा
- (8) 10 मई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/16, द्वारा
- (9) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
- (10) 19 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2020/37, द्वारा
- (11) 8 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2021/01, द्वारा
- (12) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/21, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd August, 2021

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/33.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 read with sub-section (1) of Section 11, clause (ba) and clause (c) of sub-section (2) of section 11 and sub-section (1) and (1B) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 namely:—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Third Amendment) Regulations, 2021.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 –
 - I. In sub-regulation (1) of regulation 2,
 - i. clause (aa) shall be numbered as clause (za).

- ii. after clause (a) and before clause (b), the following clauses shall be inserted, namely, –

“(aa) ‘‘accreditation agency’’ means a subsidiary of a recognized stock exchange or a subsidiary of a depository or any other entity as may be specified by the Board from time to time.

Explanation: For the purpose of this clause, the Board may recognize an accreditation agency subject to such conditions as may be specified;

(ab) ‘‘accredited investor’’ means any person who is granted a certificate of accreditation by an accreditation agency who,

- (i) in case of an individual, Hindu Undivided Family, family trust or sole proprietorship has:*

(A) annual income of at least two crore rupees; or

(B) net worth of at least seven crore fifty lakh rupees, out of which not less than three crores seventy-five lakh rupees is in the form of financial assets; or

(C) annual income of at least one crore rupees and minimum net worth of five crore rupees, out of which not less than two crore fifty lakh rupees is in the form of financial assets.

- (ii) in case of a body corporate, has net worth of at least fifty crore rupees;*

- (iii) in case of a trust other than family trust, has net worth of at least fifty crore rupees;*

- (iv) in case of a partnership firm set up under the Indian Partnership Act, 1932, each partner independently meets the eligibility criteria for accreditation:*

Provided that the Central Government and the State Governments, developmental agencies set up under the aegis of the Central Government or the State Governments, funds set up by the Central Government or the State Governments, qualified institutional buyers as defined under the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, Category I foreign portfolio investors, sovereign wealth funds and multilateral agencies and any other entity as may be specified by the Board from time to time, shall deemed to be an accredited investor and may not be required to obtain a certificate of accreditation;’’

- iii. After clause (p) and before clause (q), the following clause shall be inserted, namely, –

“(pa) ‘‘large value fund for accredited investors’’ means an Alternative Investment Fund or scheme of an Alternative Investment Fund in which each investor (other than the Manager, Sponsor, employees or directors of the Alternative Investment Fund or employees or directors of the Manager) is an accredited investor and invests not less than seventy crore rupees;’’

II. In clause (c) of regulation 10,

- i. in the first proviso, the symbol “.” shall be substituted by the symbol “:”

- ii. after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely,—

“Provided further that this clause shall not apply to an accredited investor;’’

III. In regulation 12, –

- i. in sub-regulation (3), the symbol “.” shall be substituted by the symbol “:”

- ii. in sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely, –

“Provided that the requirements under sub-regulation (2) and (3) shall not apply to large value fund for accredited investors.”

IV. In sub-regulation (4) of regulation 13,

- i. the symbol “.” shall be substituted by the symbol “:”
 ii. the following proviso shall be inserted, namely, –

“Provided that large value funds for accredited investors may be permitted to extend its tenure beyond two years, subject to terms of the contribution agreement, other fund documents and such conditions as may be specified by the Board from time to time.”

V. In clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 15,

- i. the symbol “;” shall be substituted by the symbol “:”
 ii. the following proviso shall be inserted, namely, –

“Provided that large value funds for accredited investors of Category I and II may invest up to fifty percent of the investable funds in an investee company directly or through investment in the units of other Alternative Investment Funds;”

VI. In clause (d), of sub-regulation (1) of regulation 15,

- i. the symbol “;” shall be substituted by the symbol “:”
 ii. the following proviso shall be inserted, namely, –

“Provided that large value funds for accredited investors of Category III may invest up to twenty percent of the investable funds in an investee company directly or through investment in units of other Alternative Investment Funds;”

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./178/2021-22]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were published in the Gazette of India on May 21, 2012 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2012-13/04/11262.
2. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were subsequently amended on, –
 - (1) 16th September, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/24/6573.
 - (2) 23rd May, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
 - (3) 26th September, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/11/1576.
 - (4) 14th August, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/011.
 - (5) 4th January, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/026.
 - (6) 6th March, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037.

- (7) 1st June, 2018 by Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2018/19.
- (8) 10th May, 2019 by Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2019/16.
- (9) On 17th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
- (10) 19th October, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2020/37.
- (11) 8th January, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2021/01.
- (12) 5th May, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No SEBI/LAD-NRO/GN/2021/21.